

भिवंडी हादसे के बाद नवी मुंबई मनपा अलर्ट

33 अतिधोकादायक C-1 इमारतों पर सख्ती, पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू

नवी मुंबई संवाददाता

नवी मुंबई, 2 अगस्त : भिवंडी में हाल ही में जर्जर इमारत गिरने से 10 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद नवी मुंबई महानगरपालिका (एनएमएमसी) पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। मानसून के दौरान किसी भी संभावित हादसे को रोकने के लिए मनपा ने शहर की C-1 (अत्यंत खतरनाक) श्रेणी की इमारतों के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। वर्ष 2026-27 के लिए घोषित 33 C-1 इमारतों को तत्काल खाली करने की अपील की गई है। साथ ही कई इमारतों के पानी और मल-निस्सारण (सीवरेज) कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, ताकि इन भवनों का उपयोग पूरी तरह बंद कराया जा सके।

मुख्यमंत्री के निर्देश तथा मनपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे के मार्गदर्शन में अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे ने परिमंडल-1 के उपायुक्त डॉ. अमोल पालवे, परिमंडल-2 के उपायुक्त संजय शिंदे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेलापुर, नेरुल, वाशी और कोपरखैरणे क्षेत्र की C-1 श्रेणी की इमारतों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संबंधित भवनों के पानी एवं सीवरेज कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई। मनपा प्रशासन के अनुसार इन इमारतों को इंजीनियरिंग जांच के बाद रहने और व्यावसायिक उपयोग के लिए पूरी तरह असुरक्षित घोषित किया जा चुका है।

महाराष्ट्र शासन के शहरी विकास विभाग के 5 नवंबर 2015 परिपत्र के तहत भवन मालिकों और रहवासियों को पहले ही नोटिस जारी कर इमारतें खाली करने तथा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।

इसके बावजूद कई स्थानों पर लोग अब भी इन इमारतों में रह रहे हैं या व्यावसायिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। इसी कारण प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। रविवार को बेलापुर, नेरुल, वाशी और कोपरखैरणे विभाग में विशेष अभियान चलाया गया।



बेलापुर विभाग में व्हाइट हाउस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, नेरुल विभाग में शिवनेरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, वाशी विभाग में लिटिल फ्लावर, नूर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, सेक्टर-2 की C-1 एवं C-2 टाइप इमारतें

तथा सुमंगल अपार्टमेंट में पानी और सीवरेज कनेक्शन काटे गए। वहीं कोपरखैरणे विभाग में गगनगिरी, सिल्वर नेस्ट और राज पैलेस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी में भी यही कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान अतिरिक्त शहर अभियंता मदन वाघचौड़े, संबंधित विभागों के सहायक आयुक्त, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता तथा अतिक्रमण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

मनपा ने स्पष्ट किया है कि C-1 श्रेणी की इमारतों में किसी भी प्रकार का निवास या व्यावसायिक गतिविधि जारी रखना बेहद खतरनाक है। इसलिए सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पानी एवं अन्य मूलभूत सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद किया जा रहा है, ताकि लोग इन इमारतों में रहने का जोखिम न उठाएं।

महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि नोटिस जारी होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति C-1 श्रेणी की इमारत में रहता है और भविष्य में कोई दुर्घटना होती है, तो उससे होने वाली जन-धन की हानि की जिम्मेदारी संबंधित भवन मालिकों और रहवासियों की होगी। ऐसी स्थिति में महानगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।

इस वर्ष मानसून पूर्व कराए गए स्ट्रक्चरल ऑडिट में नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र की 504 इमारतों को विभिन्न श्रेणियों में खतरनाक घोषित किया गया है।

इनमें 52 इमारतें C-1, 102 इमारतें C-2A, 297 इमारतें C-2B तथा 53 इमारतें C-3 श्रेणी में शामिल हैं। इनमें से C-1 श्रेणी की इमारतों को तत्काल खाली कराने और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि नोटिस जारी होने के बावजूद यदि कोई व्यक्ति C-1 श्रेणी की इमारत में रहता है और भविष्य में कोई दुर्घटना होती है, तो उससे होने वाली जन-धन की हानि की जिम्मेदारी संबंधित भवन मालिकों और रहवासियों की होगी। ऐसी स्थिति में महानगरपालिका जिम्मेदार नहीं होगी।

एक नज़र में

नवी मुंबई मनपा का बड़ा अभियान

33 C-1 श्रेणी की इमारतों पर कार्रवाई पानी और सीवरेज कनेक्शन काटने की शुरुआत नागरिकों से तुरंत भवन खाली करने की अपील मानसून में हादसों को रोकने पर विशेष जोर

खतरनाक इमारतों का आंकड़ा

स्ट्रक्चरल ऑडिट 2026-27

कुल खतरनाक इमारतें : 504

C-1 (अत्यंत खतरनाक) – 52

C-2A – 102

C-2B – 297

C-3 – 53

C-1 इमारतें कहाँ हैं?

- बेलापुर – 4
- नेरुल – 4
- वाशी – 5
- तुर्भे / सानपाड़ा – 13
- कोपरखैरणे – 5
- ऐरोली – 1
- दिघा – 1

कुल : 33 अतिधोकादायक इमारतें

मनपा की कार्रवाई

- ✓ संयुक्त निरीक्षण अभियान
- ✓ पानी की आपूर्ति बंद
- ✓ सीवरेज कनेक्शन काटे गए
- ✓ नोटिस जारी
- ✓ भवन खाली कराने की प्रक्रिया
- ✓ नियमों के तहत आगे की कार्रवाई

"मानव जीवन सबसे कीमती है। C-1 श्रेणी की इमारतों में रहने वाले सभी नागरिक तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बारिश के मौसम में जर्जर इमारतें कभी भी हादसे का कारण बन सकती हैं। कृपया मनपा प्रशासन का सहयोग करें।"

डॉ. कैलास शिंदे
आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

क्या हर बड़े हादसे के बाद ही प्रशासन जागता है? भिवंडी हादसे के बाद नवी मुंबई मनपा ने तेज़ी से कार्रवाई शुरू की है। सवाल यह है कि क्या ऐसी सख्ती और नियमित निरीक्षण पूरे वर्ष नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी शहर में हादसा होने से पहले ही जर्जर इमारतों को सुरक्षित किया जा सके